

21/12/22

MD
22/XII/22

CECP/Pauri

21.12.2022

मुख्य अभियन्ता
लो. नि. वि.

ई फाईल संख्या 40949-

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2780

SSO-III (P)

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 26 दिसम्बर, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विभिन्न 08 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., पौड़ी द्वारा संलग्न विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनके अंतर्गत सड़क मार्गों की कुल लम्बाई 23 k.m + 03 span एवं लागत ₹314.39 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 55.18 लाख (एकपचन लाख अठारह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 010. लाख (दस हजार मात्र) की दर से 08 कार्यों हेतु 80.0 ₹ लाख (अससी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या 1764-III(2)/10-17(सामान्य)/2008, दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 383-III(1)/19-190(PWD)01 टी.सी.-11 दिनांक 05.2.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017-एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 2047-XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथाशक्य व्यय अनुदान संख्या 22- के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद) चालू कार्यों (में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री

इं० जीवन सिंह
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी

28/12/22

ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

xii. उक्त कार्य हेतु लो 0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1403-III(2)/21-08(सामान्य)/2020 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखापीर्षक 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला तथा अन्य सड़कें 337- सड़क निर्माण कार्य 03- राज्य सेक्टर 0302- नया निर्माण कार्य 53- बृहद निर्माण 5054-04-800-03-02)) के नामें डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग 2- के कम्प्यूटर जनित संख्या- I/82890/2022 दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**Signed by Ramesh Kumar
Sudhanshu**

Date: 19-12-2022 13:41:44

(रमेश कुमार सुधांशु)

प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा .मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र 0, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग 2-, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, छठवा वृत्त, लो.नि.वि., उत्तरकाशी।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0.खण्ड, लो .नि .वि., भटवाड़ी।
11. गार्ड फाईल।

श्याम सिंह
संयुक्त सचिव

E- FILE No- 40949 का संलग्नक

धनराशि लाख रु. में

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	वि.टी.एसी द्वारा अनु.लागत	शासन द्वारा अनु.लागत
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-गंगोत्री के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत मुसड़गांव मोटर मार्ग के प्रथम बैण्ड से भटवाड़ी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.00	24.60	3.00
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-गंगोत्री के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत दिकथोल-	2.00	66.00	3.00

	पंचाणगांव मोटर मार्ग से ग्राम भटवाड़ी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)			
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-गंगोत्री के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत श्रीकालखाल न्यूगांवसारी भैंत मोटर मार्ग से ग्राम भैंत तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	2.50	48.75	3.75
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-गंगोत्री के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत देवीधार-रनाड़ी-अठाली मोटर मार्ग के कि०मी० 05 व 06 में लैन्ड स्लाईड के कारण मोटर मार्ग का समरेखण परिवर्तन कर मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.50	46.30	3.75
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-गंगोत्री के विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत भुक्की कुज्जन मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से 05 तक सड़क का पुनःनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.00	0.50	0.50
6	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-गंगोत्री के विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत सिल्ला से जौड़ाव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (आर. एफ.क्यू एवं टी.ओ.आर के अनुसार)	5.00 + 02 No Span	46.70	25.70
7	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-गंगोत्री के विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत बारसू गांव से झरना चिलोत्रू तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	33.82	7.50
8	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-गंगोत्री के विकासखण्ड भटवाड़ी में एन०एच० 34 से ग्राम नेताला बेसिक स्कूल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)(आर.एफ.क्यू एवं टी.ओ.आर के अनुसार)	3.00 + 01 No Span	47.70	7.98
	योग:-	23.00 + 03 No Bridge	314.39	55.18

(कुल रु. अस्सी हजार मात्र)

Signed by Shyam Singh
Date: 20-12-2022 16:44:10

श्याम सिंह
संयुक्त सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/84453/2022
 अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S22120220019
 आवंटन पत्र दिनांक-20-DEC-2022

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय
 337-सड़क निर्माण कार्य
 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
 800-03-02से स्थानान्तरित)

04-जिला तथा अन्य सड़के

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					1760000	80000	0	1840000				
योग					1760000	80000	0	1840000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.80,000 (Rupees Eighty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER